**रजिस्टर्ड/सील्ड**

**उत्तर प्रदेश शासन**

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2**

**संख्या-309/2017/703/22-2-2017-17(199)/2006**

**लखनऊ: दिनांक: 20 अप्रैल, 2017**

**सशोधन**

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, बरेली** के सिद्धदोष **बन्दी हरपाल सिंह (बन्दी संख्या-39181) पुत्र श्री अजब सिंह, निवासी-जटपुरा, थाना-शाहबाद, जिला-रामपुर,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-260/1978** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302, 201, 323** के अधीन **दिनांक 30-03-1981** को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, की शेष सजा का परिहार किये जाने हेतु शासनादेश सं0-229/2017/1743/22-2-2016-17(199)/2006 दिनांक 27.03.2017 निर्गत किया गया है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 27.03.2017 की पॉचवी पंक्ति में दिनांक 30.03.19881 के पश्चात **"तथा सत्र परीक्षण सं0-307/79 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा-302/34, 452 के अधीन दिनांक 19.08.1981"** पढ़ा जाय।

उक्त शासनादेश दिनांक 27.03.2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

**संख्या-309/2017/703(1)/22-2-2017 तद्दिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, रामपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली को उनके पत्र दिनांक 03.04.2017 के संदर्भ में।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in